



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 1124-पार०अनु०-04/पाट्रकालि/2021-(74)/2013 टी०सी०

दिनांक : 13 ^{जनवरी} दिसम्बर, 2021

निदेशक
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 के मध्य सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वित्त), वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-19/2021/सा-3-633/दस-2021-301/2000टी.सी., दिनांक 09 नवम्बर 2021 एवं तत्क्रम में जारी कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-20/2021/सा-3-641/दस-2021-301/2000टी.सी., दिनांक 11 नवम्बर 2021 एवं उक्त आदेश के सन्दर्भ में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-1590-पें०एवंआर०-28/पाकालि/21-108-पेंशन-31/90(TC-III), दिनांक: 13.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान उनके मूलवेतन में निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए आगणित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

अवधि जिसके मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए	गणना हेतु महंगाई भत्ते की दर
दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक	मूल वेतन का 21 प्रतिशत
दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक	मूल वेतन का 24 प्रतिशत
दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक	मूल वेतन का 28 प्रतिशत

2- अतः उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की सेवाओं से दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान दर्शायी गयी महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार आगणित किये जाने हेतु उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/2021/सा-3-633/दस-2021-301/2000 टी.सी., दिनांक 09.11.2021 तथा कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-20/2021/सा-3-641/दस-2021-301/2000 टी०सी०, दिनांक 11.11.2021 में प्राविधानित व्यवस्थाओं को यथावश्यक संशोधन सहित अंगीकृत/लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू०सी०/रा०वि०प०(ओ०सं०/उन्नीस)-14(23 एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागारों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

मवदीय,

(ए०के० पुरवार)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

(क्रमशः.....2)

9

संख्या : 1124 (1) -पारे0अनु0-04/पाट्राकालि/21-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,



(अनिल पाटक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

